संख्या-385/2018/201/22-2-2018-17(70)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 02 मई, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल कयूम पुत्र श्री हाजी मोहिउद्दीन, निवासी जनपद-गोरखपुर वर्तमान जनपद-महराजगंज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3000/प्रोबेशन-3/ फार्म-ए(एम-17-11-2016) दिनांक-24-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 24-01-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अब्दुल कयूम पुत्र श्री हाजी मोहिउद्दीन, निवासी ग्राम-बड़हरा गंजनमियां, थाना-श्यामदेउरवा, जनपद-गोरखपुर वर्तमान जिला-महराजगंज का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 08-03-1979 रात 09:35 बजे बकाये पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से फायर कर अयोध्या पाण्डे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-190/1979 में भा0द0वि0 की धारा-**302**/34 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 04.06.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.1998 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 09 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 08-03-1979 को बकाये पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से फायर कर अयोध्या पाण्डे नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा अतिरिकत 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अब्दुल कयूम पुत्र श्री हाजी मोहिउद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अब्दुल कयूम (बन्दी संख्या-39236) पुत्र श्री हाजी मोहिउद्दीन, निवासी जनपद-गोरखपुर वर्तमान जनपद-महराजगंज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-385/2018/201(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद महराजगंज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-385/2018/201/22-2-2018-17(70)/2018
दिनांक 02 मई, 2018 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल कयूम (बन्दी संख्या-39236) पुत्र श्री हाजी मोहिउद्दीन, निवासी ग्राम-बड़हरा गंजनमियां, थाना-श्यामदेउरवा, जनपद-गोरखपुर वर्तमान जिला-महराजगंज का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08-03-1979 रात 09:35 बजे बकाये पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से फायर कर अयोध्या पाण्डे नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-190/1979 में भा0द0वि0 की धारा-**302**/34 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर के आदेश दिनांक 04.06.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.1998 द्वारा अपील को निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.10.2016 तक 19 वर्ष 01 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 09 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने दिनांक 08-03-1979 को बकाये पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल से फायर कर अयोध्या पाण्डे नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, महराजगंज द्वारा अतिरिकत 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अब्दुल कयूम पुत्र श्री हाजी मोहिउद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in